स्पीड पोस्ट

संख्या- 6/एफ1-3010/2015 श्र०सं०- 77

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई ।

पटना, दिनांकः- 01-01-16

विषयः- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-109-बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड-P-2230011090101)के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2689 दिनांक-27.08.15 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत बीड़ी श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की भरपाई के लिए अनुदान की राशि प्रति आवास ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र की दर से **सहायक वेतनादि के अलावा इकाई (31-06)** में कुल 964 बीड़ी श्रमिकों (सूची संलग्न) के गृह निर्माण हेतु 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी का नाम	बीड़ी श्रमिको की संख्या	सहायक वेतनादि के अलावा (31-06) में कुल आवंटित राशि प्रति आवास 4000/- की दर से
1	जिला पदाधिकारी, जमुई	964	964x4000 = 3856000

कुल आवंटित राशि ₹ 38,56,000/- (₹ अड़तीस लाख छप्पन हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.15 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. इसका व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)
सचिव ।

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/2015 श्र०सं०- 77 पटना, दिनांक 01-01-16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एस० सिद्धार्थ)
सचिव ।

*<u>स्पीड पोस्ट</u>

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/2015 श्र०सं०- 77 पटना, दिनांक 01-01-16

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त मुंगेर/***जिला कोषागार पदाधिकारी जमुई/श्रम अधीक्षक जमुई**/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-04 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-240 (श्रम पक्ष) दि.-23.12.15 के आलोक में एवं प्रशाखा-06 श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-04) द्वारा किया जायेगा ।

(एस० सिद्धार्थ)
सचिव ।